



भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindi

Website : www.rbi.org.in

ई-मेल/email : helpdoc@rbi.org.in



संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई-400001

Department of Communication, Central Office, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort, Mumbai-400001 फोन/Phone: 022- 22660502

30 जून 2023

भारत सरकार के खज़ाना बिलों की नीलामी का कैलेंडर
(सितंबर 2023 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए)

केंद्र सरकार की नकदी स्थिति की समीक्षा के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से सितंबर 2023 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए खज़ाना बिलों के निर्गम के लिए निम्नानुसार राशियां अधिसूचित करने का निर्णय लिया है:

खज़ाना बिलों की नीलामी के लिए अधिसूचित राशि (1 जुलाई 2023 से 30 सितंबर 2023)					
					(₹ करोड़)
नीलामी की तारीख	निर्गम तारीख	91 दिवसीय	182 दिवसीय	364 दिवसीय	कुल
5 जुलाई 2023	6 जुलाई 2023	10,000	8,000	6,000	24,000
12 जुलाई 2023	13 जुलाई 2023	10,000	8,000	6,000	24,000
19 जुलाई 2023	20 जुलाई 2023	10,000	8,000	6,000	24,000
26 जुलाई 2023	27 जुलाई 2023	10,000	8,000	6,000	24,000
2 अगस्त 2023	3 अगस्त 2023	10,000	8,000	6,000	24,000
9 अगस्त 2023	10 अगस्त 2023	10,000	8,000	6,000	24,000
17 अगस्त 2023	18 अगस्त 2023	10,000	8,000	6,000	24,000
23 अगस्त 2023	24 अगस्त 2023	10,000	8,000	6,000	24,000
30 अगस्त 2023	31 अगस्त 2023	10,000	8,000	6,000	24,000
6 सितंबर 2023	7 सितंबर 2023	10,000	8,000	6,000	24,000
13 सितंबर 2023	14 सितंबर 2023	10,000	8,000	6,000	24,000
20 सितंबर 2023	21 सितंबर 2023	10,000	8,000	6,000	24,000
27 सितंबर 2023	29 सितंबर 2023	10,000	8,000	6,000	24,000
कुल		1,30,000	1,04,000	78,000	3,12,000

2. भारत सरकार के परामर्श से भारतीय रिज़र्व बैंक के पास, भारत सरकार की आवश्यकताओं, उभरती बाजार स्थितियों और अन्य प्रासंगिक कारकों के आधार पर खज़ाना बिलों की अधिसूचित राशि और समय-सारणी में बाजार को विधिवत सूचना देने के बाद संशोधन करने की छूट होगी। इस तरह, बीच में पड़ने वाली छुट्टियों के कारणों सहित यदि ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न होती है तो इस कैलेंडर में परिवर्तन किया जा सकता है। यदि ऐसा कोई परिवर्तन होता है, तो उसे प्रेस प्रकाशनियों के माध्यम से सूचित किया जाएगा।

3. खज़ाना बिलों की नीलामी भारत सरकार द्वारा [27 मार्च 2018 को जारी तथा समय-समय पर यथासंशोधित सामान्य अधिसूचना सं. एफ4\(2\)-डब्ल्यूएंडएम/2018](#) में विनिर्दिष्ट नियमों एवं शर्तों के अधीन होगी।

प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/511

(योगेश दयाल)
मुख्य महाप्रबंधक